न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 23 / 2010

1–मोहन लाल
2–मुरारीलाल
3–राधेश्याम
} पिसरान रामेशवर जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी बाछरैन तहसील वैर जिला भरतपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1– परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना इकाई एनएच–11 दौसा (राज0)
2– भूमि आवाप्ति अधिकारी,(उपखण्ड अधिकारी,) वैर जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5), नेशनल हाईवे एक्ट 1956 विरुद्व आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी एसडीओ वैर

निर्णय **दिनांक 16.1.2018**

प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र पिटीशन अन्तर्गत धारा 3 जी (5) एन0एच0एक्ट विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी का आराजी खसरा नम्बर 1599/5.15 बाके ग्रांम वाछरेन तहसील वैर में है जिसमें प्रार्थी 1/4हिस्से का खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जो नेशनल हाईवे फोर लाइन बनाने के लिये अवाप्त किया गया है। उक्त हिस्से में व्यवसाय हेतु मकान बने हुये थे तथा सिंचाई के लिये एक टयूबेल(वोर) भी लगा हुआ था। प्रार्थीगण के टयूबेल का कोई मुआवजा तय नहीं किया गया जबकि प्रार्थीगणों के द्वारा टयूवेल के पानी का जो टेंक बनाया गया है उसका मुआवजा तय कर दिया है तथा एक हेंन्डपम्प मीठे पानी का भी लगा हुआ था उसका भी मुआवजा दिया गया है। भूमि अवाप्ती अधिकारी वैर के यहॉ प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थीगण के टयूवेल की लागत 2 लाख रुपये से ज्यादा है। प्रार्थना पत्र याचिका स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण के अवाप्त टयूवेल की लागत एवं नुकसान मय ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी एस.डी. ओ. वैर से रिपोर्ट तलब की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी एस.डी.ओ. वैर से प्राप्त रिपोर्ट पत्र कमांक/11/222 दिनांक 24.11.2011 शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं योग्य अभिभाषक अप्रार्थी –1 एन.एच. की ओर से लिखित बहस पेश की गई हैं जो शामिल मिसिल की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर गौर किया गया। प्रार्थीगण का कहना है कि अवाप्त शुदा आराजी खसरा नम्बर 1599 का अवाप्त शुदा रकवा में अन्य निर्माण के साथ बोरिंग भी था उसका मुआवजा नहीं दिया गया है, बोरिंग का मुआवजा दो लाख रुपये एवं व्याज वगे. दिया जावे। जब कि अप्रार्थी ने अपने जबाब कथनों में जाहिर किया है कि वक्त सर्वे में मोके पर बोरिग टयूवैल नहीं आने एवं बोरिंग अवाप्त नहीं होने से मुआवजा पाने का अधिकारी नहीं है।

.....2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि आवाप्ति अधिकारी (एस.डी.ओ.) वैर की रिर्पोट पत्र क्रमांक/11/222 दिनांक 24.11.2011 के साथ प्राप्त वैल्यूसन रिपोर्ट एवं सरंचना मूल्यांकन आर.एच.एस. 66 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी के अपाप्त रकवे में स्थित अन्य सरंचना का मूल्यांकन किया गया है परन्तु बोरिंग के मूल्यांकन का कोई उल्लेख नहीं है, जब कि सरंचना रिपोर्ट आर.एच.एस. 66 में बोरिंग को दिखाया हुआ है।

भूमि आवाप्ति अधिकारी (एस.डी.ओ.) वैर द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई प्रार्थना पत्र आपत्ति निर्णय में बोंरिग के बाबत कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सर्वे रिपोर्ट एवं भूमि आवाप्ति के रिर्पोट में कथन की सत्यता के लिये प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं कि कथित सरंचना मूल्यांकन आर.एच.एस. 66 में दिखाये गये बोंरिग के बारे में जॉच कर पुनः नियमानुसार आदेश पारित करें।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र याचिका प्रार्थीया आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण भूमि आवाप्ति अधिकारी (एस.डी.ओ.) वैर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे कथित बोरिंग के बार में पुनः जॉच करें तथा उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र आपत्ति पर पुनः निर्णय पारित करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 16.1.2018 को सुनाया गया।

(डा.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर